न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 02/2025/प्रथम अपील

पी.एस.जाट, 102, श्री श्याम रेजीडेन्सी, नियर विद्या भारती पब्लिक स्कूल, तोदी नगर, सीकर(राज0), 332001

–अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर

–रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 21 फरवरी, 2025

न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर (राज.)

1. यह अपील अपीलार्थी **पी.एस.जाट** के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **12.11.2024** में लोक सूचना अधिकारी से कहारों की ढाणी, पटवारी हल्का बाजोर, भू.अ.नि. गोकुलपुरा, तहसील सीकर, जिला सीकर में स्थित खातेदारी भूमि प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन पालवास रोड़ सीकर जरिये सचिव डॉ. पीयूष सुण्डा पुत्र गोपाल सिंह जाति जाट से संबंधित खसरों की लैंड कनवर्जन फाईल, भवन निर्माण स्वीकृति फाईल, संस्थानिक पट्टों की फाइलों सहित सम्पूर्ण विवरण चाहा है।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **03.02.2025** से अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

कार्यालय के पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2025/2632 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील निस्तारित करने का श्रम फरमावें।

5. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अनुसार सूचना चाही गयी थी। आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/आरटीआई/2025/2632 दिनांक 20.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भिजवा दी गई है, जिसकी फोटोप्रति भी लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर का प्रत्युत्तर समुचित प्रतीत होता है।

6. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है, जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर